FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उ.अ. **मुकाम** बायतु

हीराराम **बनाम** भिखाराम वगैरह

किस्म मुकदमा रा.काश्त. 111,128 अधिनियम **न.** 179/21 **सन** 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/06/2021	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111,128 अधिनियम राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 17/08/2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला बाड़मेर	
17/08/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील किस्म तामील किया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्य में व्यस्त होने से मिसल ईतलवा होकर पत्रावली दिनांक - 20/10/2021 को पेश हो।	
20/10/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या - 2 से 25 व 26 से 33 के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। शेष विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील किस्म तामील किया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन	

गांवों के संग अभियान-2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इन्द्राज होकर आगामी दिनांक 08/02/2022 को पेश हो।

08/02/2022 प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या-2 से 25 व 26 से 33 बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5:45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण संख्या-2 से 25 व 26 से 33 स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थी संख्या-2 से 25 व 26 से 33 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विप्रार्थी संख्या-1, व 34 से 38 के नोटिस तामील बिना तामील अदालत। प्रार्थी वकील विप्रार्थी संख्या-1, व 34 से 38 के नोटिस पुनः पेश करें, पेश होने पर जारी होकर पत्रावली दिनांक-11/04/2022 को पेश हो।

11/04/2022 प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या-34 से 38 के नोटिस पत्र के जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनको 6 माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है जिनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5:45 pm पर लगाई गई विप्रार्थी संख्या-34 से 38 स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थी संख्या-34 से 38 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि

उपखण्ड अधिकारी
जिला-बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विपक्षी संख्या -1 व विपक्षी संख्या 15 एक ही व्यक्ति है इसलिए विपक्षी संख्या 15 का नाम विलोपित किया जावे। तथा साथ ही प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा संशोधित शिर्षक पेश किया गया जिसे रेकर्ड पर लिया जावे। अतः प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या - 15 का नाम विलोपित किया जाता है व संशोधित शिर्षक रेकर्ड पर लिया जाता है पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 19/05/2022 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर	
19/05/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। प्रार्थी वकील बहस नहीं करना चाहते है स्थगन दिया जाकर पत्रावली दिनांक - 23/05/2022 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर	

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
23/05/2024	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधीनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 721 दिनांक : 23/5/2022

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. हीराराम पुत्र हड़मन्ताराम वगैरा 08, जाति जाट, निवासी अमरजी की ढाणी, पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह, तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

1. आदुराम पुत्र अजाराम वगैरा 38, जाति जाट, निवासी बेरी अमरजी की, ढाणी, पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह, तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – **179 / 2021**

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – अमरजी की ढाणी, पटवार मण्डल – सवाऊ पदमसिंह, तहसील – गिड़ा, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 416 रकबा 14.4634 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
दिनांक :

क्रमांक : वाद / 2022 / 722-726

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का सवाऊ पदमसिंह को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री हीराराम पुत्र हड़मन्ताराम वगैरा 08,
4. विप्रार्थी श्री आदुराम पुत्र अजाराम वगैरा 38,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु / गिड़ा / नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर